

प्रेषक,

ओम प्रकाश,  
अपर मुख्य सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण,  
सहत्रधारा हैलीपैड, देहरादून।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

देहरादून: दिनांक 15 जून, 2018,

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के अन्तर्गत बचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों की राजस्व पक्ष में आय-व्ययक की धनराशि की स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-519/3 150)-2017/XXVII (1)/2018 दिनांक 02.04.2018 के द्वारा वित्त नियंत्रक उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-230/UCADA/Budget/2018-2019 दिनांक रहित द्वारा आय-व्ययक वित्तीय वर्ष 2018-2019 में प्राविधानित धनराशि रू० 18.00 करोड़ स्वीकृति किये जाने विषयक, अनुरोध के क्रम में प्रथम चरण में राजस्व पक्ष में 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 5.00 करोड़ (रूपया पाँच करोड़ मात्र) आवश्यक व्यय हेतु आपके के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण देहरादून द्वारा मूल बजट 2018-2019 की राजसहायता (Grant) के प्रस्ताव के साथ पिछला आडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, बैंक पास बुक तथा बोर्ड बैठक में उक्त संस्तुति सहित रिपोर्ट अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. सम्बन्धित मदों में धनराशि व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका और स्टोर पर्चेज रूल्स, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्राविधानानुसार टेण्डर/कोटेशन एवं मितव्यता से सम्बन्धित नियमों के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
3. व्यय में मितव्यता नितान्त आवश्यक है, मितव्यता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्ही मदों में किया जाये जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
4. स्वीकृत की जा रहा धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या संख्या-519/3 150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018, के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन 02-विमानपत्तन- 102 हवाई 09 उत्तराखण्ड उड्डयन विकास प्राधिकरण 20- सहायक अनुदान /अंशदान/राजसहायता के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के अ0शा0 संख्या-177/XXVII / (2)/2018, दिनांक: 06 जून, 2018 के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

o/c (ओम प्रकाश)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या ~~178~~ (1)/2018-6/ IX/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षक) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी-1/105 इन्दिरानगर देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट देहरादून को इस आशय से प्रेषित की वह उक्त धनराशि का आहरण वितरण नियमानुसार करते हुए मासिक विवरण शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4- जिलाधिकारी देहरादून।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, / साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-1/2, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

o/c (गिरीश चन्द्र जोशी)

उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Civil Aviation (S004)

आवंटन पत्र संख्या - 351/2018-06/IX/2017

अनुदान संख्या - 024

अलोटमेंट आई डी - S1806240048

आवंटन पत्र दिनांक - 07-Jun-2018

HOD Name - Director Civil Aviation (2904)

1: लेखा शीर्षक	3053 - नागर विमानन	02 - विमान पत्तन
	102 - हवाई अड्डा	
	09 - उन्नतराखण्ड उड्डयन विकास प्राधिकरण	
	00 - जी.पी.डी.	

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - महायुक्त अनुदान/अंशदान/राज	0	50000000	50000000
	0	50000000	50000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

50000000



(गिरीश चन्द्र जोशी)  
उप सचिव,  
नागरिक उड्डयन विभाग  
उत्तराखण्ड शासन।